

राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

20/108 सेक्टर-2, कोठी पथ, जयपुर-302001
Email ID: -ccs@rajasthan.gov.in

सूचिका: 199/2017/राजस्थान/बाल/अधिकारिता/प्राप्त/27/12/2017

जयपुर, दिनांक-27.12.2017

पंजीयन प्रमाण पत्र
(Registration Certificate)

किशोर बाल (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या सत्य एन.एन.जी.ओ., 105, टैगोर नगर, किरण पैलेस रोड के पीछे, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 50 में संघालित सत्य बाल आश्रम, निदेशालय बाल अधिकारिता, जयपुर के बालाजी, भांगरोटा, तह. सांगानेर, जयपुर का प्रोलेक्ट स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 14.12.2017 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत धारा 50 के तहत 27.12.2017 बाल देखरेख संस्थान के तौर पर दिनांक 28.12.2017 तक के लिए पंजीकरण सं. 38724 प्रदान किया जाता है।

50 बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान किशोर बाल (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर बाल (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2015 तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के साथ-साथ सलग्न शर्तों की अनुपालना हेतु भी बाध्य होगा।

(जे.सी.देसाई)

निदेशक

जयपुर, दिनांक-27.12.2017

प्रतिनिधि निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निधि अधिकारी, अधिनियम मुख्य सचिव, राज्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निधि अधिकारी, अध्यापक, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
3. राज्याअवि, जयपुर।
4. निधि अधिकारी, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
6. नगरपालिका, आई.सी.एस. मुख्यालय।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर बाल बोर्ड, जयपुर।
8. अध्यापक निदेशक, राज्याअवि एवं निधि बाल संरक्षण इकाई, जयपुर।
9. अध्यापक, बाल कल्याण समिति, जयपुर।
10. निदेशक, राजकीय संरक्षण एवं किशोर न्यायिक बृहत्बालिका गृह, जयपुर।
11. निदेशक, मुख्यालय।
12. निदेशक, कार्यक्रम प्रवक्ता, पुलिस, मुख्यालय।
13. निदेशक, सत्य एन.एन.जी.ओ., 105, टैगोर नगर, किरण पैलेस रोड के पीछे, जयपुर।
14. प्रमुख प्रशासकीय।

निदेशक 27/12/2017

